राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईटः– http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
ई.मेलः– hrd.cce/gmail.com फोन न॰ 0141–2706736(O)

क्रमांकः एफ1(02)विद्यासम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21–00638/ पार्ट–1/ दिनांकः– हस्ताक्षर दिनांक

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में अध्यापन कार्य करवाये जाने हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– विभाग का पूर्व पत्र दिनांक 21.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि, वर्तमान में विद्या संबल योजना के तहत राजसेस राजकीय महाविद्यालयों तथा नियमित महाविद्यालयों में सत्र 2024–25 में गेस्ट फैकल्टी लगाये जाने के संबंध में विभाग द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 4 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने के फलस्वरूप आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंः–

4. विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने के संबंध में विज्ञप्ति सम्बंधित जिला स्तरीय DRAC कॉलेज के स्तर पर जारी किया जाना है तथा विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी की पात्रता की जॉच एवं पैनल तैयार कर अनुमोदन कर गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सम्बंधित नोडल कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

नोटः– शेष दिशा–निर्देश पूर्व में जारी पत्र दिनांक 21–06–2024 के अनुसार यथावत रहेगें साथ ही जिन महाविद्यालयों द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, उनको पुनः विज्ञप्ति जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
02. सम्बंधित जिला स्तरीय DRAC महाविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
03. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर
Digitally signed by Keshav Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2025.01.21 14:02:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13104075